

आदर्श कोषागार कार्यालय कलेकट्रैट, लखनऊ /

पेंशन की श्रेणी :- सिविल/शिक्षा/अखिल भारतीय सेवा/मिलट्री/अन्य राज्य/रेलवे/राजनीतिक

फार्म संख्या-8(1)

पेंशन भोगी द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु प्रमाण पत्र

(अनुच्छेद 17 देखा जाये)

1- जीवित होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पेंशन भोगी निम्न विवरण अनुसार

सेवानिवृत्ति विभाग का नाम.....

- 1- पेंशनर का नाम
- 2- पेंशन भुगतान आदेश संख्या.....
- 3- बैंक व शाखा का नाम.....
- 4- बैंक खाता संख्या.....
- 5- आधार कार्ड संख्या.....
- 6- आयकर पैन नं0
- 7- टेलीफोन नं0/मोबाइल नं0
- 8- निवास का वर्तमान पता.....
- 9- ई-मेल आईडी0

को स्वयं देखा है और यह कि वह आज की तारीख में जीवित है।

पेंशनर के हस्ताक्षर

अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर व मुहर

नाम

स्थान

स्थान

दिनांक

दिनांक

फार्म संख्या-8(2)

2- रोजगार रहित होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र

मैं घोषणा करता / करती हूँ कि मैंने सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करके / बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किये रोजगार/वाणिज्यिक रोजगार स्वीकार किया है/स्वीकार नहीं किया है। (उ0प्र0 सेवा के प्रथम श्रेणी के अधिकारी द्वारा सेवानिवृत्ति के प्रथम दो वर्षों में दिया जाना है)

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करके / बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किये भारत सरकार के परिधि के बाहर या किसी भी सरकार के अधीन किसी प्रकार का रोजगार स्वीकार किया है/ स्वीकार नहीं किया है (केवल उत्तर प्रदेश सेवा के प्रथम सेवा के प्रथम श्रेणी के अधिकारी द्वारा दिया जाना है।)

फार्म संख्या-8(3)

3- पुनर्विवाह / अविवाहित होने का प्रमाण पत्र

मैं घोषण करता / करती हूँ कि मैं विवाहित नहीं हूँ/मैंने पिछले एक वर्ष के अन्दर विवाह नहीं किया है। मैं घोषण करता/करती हूँ कि मैंने पुनर्विवाह नहीं किया है तथा ऐसा करने पर मैं कोषाधिकारी को सूचित करूँगा/करूँगी।

स्थान

प्रमाण पत्र-8 (2) एवं (3) के लिए

दिनांक

हस्ताक्षर

पेंशन भोगी का नाम

श्री / श्रीमती पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति जो पेंशन पी0पी0ओ0
संख्या/बैंक खाता संख्या /पेंशनर डंडेक्स संख्या.....समे जीवित /रोजगार/अववाहित होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया।

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर